

सं. 21011/27/2015-स्था.(ए-11)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 11 फरवरी, 2016

कार्यालय जापन

विषय : वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यनिष्ठा कालम को भरने से संबंधित अनुदेश/दिशाओं-निर्देशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को एपीएआर (वर्तमान में एपीएआर) में सत्यनिष्ठा से संबंधित कालम को भरने के संबंध में इस विभाग के मौजूदा अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। यह बात ध्यान में लायी गई है कि कई बार रिपोर्टिंग अधिकारी प्रतिवेदित अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में स्पष्ट एवं सुनिश्चित उल्लेख नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि प्रतिवेदित अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने की स्थिति में, एपीएआर में सत्यनिष्ठा कालम को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का उपयुक्त रूप से अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

2. अब, एपीएआर में सत्यनिष्ठा से संबंधित कालम को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में इस विभाग के दिनांक 20.05.1972 के का.जा. सं. 51/5/72-स्था.(ए) के पैरा 5.2 में समाविष्ट निम्नलिखित अनुदेशों/दिशा-निर्देशों को पुनः दोहराने का निर्णय लिया गया है:

(क) पर्यवेक्षक अधिकारीगण एक गोपनीय डायरी रखें जिसमें किसी अधीनस्थ की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाली बातों को समय-समय पर नोट किया जाए तथा ऐसी संदेहास्पद बातों की वास्तविकता का सत्यापन करने के लिए विभागीय रूप से गोपनीय जांच कर अथवा विशेष पुलिस स्थापना को मामले को भेज कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को रिकार्ड पुलिस स्थापना को मामले को भेज कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। यदि कालम को संदेहास्पद बातों की पुष्टि न हो पाने के कारण भरा नहीं जाता है, तो निम्नलिखित उप-पैराग्राफ के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।

(ख) चरित्र पंजिका में सत्यनिष्ठा से संबंधित कालम को खाली रखा जाए तथा अधिकारी की सत्यनिष्ठा से संबंधित सन्देहों और शंकाओं के बारे में अलग से टिप्पणी को साथ-साथ रिकॉर्ड किया जाए तथा अनुसरण किया जाए।

(ग) गुप्त टिप्पणी की एक प्रति चरित्र-पंजिका के साथ अगले वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाए, जो अनुवर्ती कार्रवाई उचित शीघ्रता के साथ करना सुनिश्चित करें।

(घ) यदि, अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, कोई अधिकारी दोषमुक्त हो जाता है, तो उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाए तथा चरित्र पंजिका में प्रविष्टि की जाए। यदि उसकी सत्यनिष्ठा के संबंध में संदेहों की पुष्टि हो जाती है तो इस तथ्य को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है तथा इसे संबंधित अधिकारी को उपयुक्त रूप से संप्रेषित किया जा सकता है।

(ङ) ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब कोई रिपोर्टिंग अधिकारी स्वयं के प्रति तथा जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है उस अधिकारी के प्रति निष्पक्ष नहीं हो सकता, या तो सत्यनिष्ठा प्रमाणित करता है या कोई प्रतिकूल टिप्पणी करता है अथवा यहां तक कि कोई ऐसी सूचना रखता है जिसके आधार पर वह विभाग के प्रमुख को गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सके। ऐसी स्थितियां तब आती हैं जब कोई अधिकारी दूर-दराज स्थान पर सेवारत हो और रिपोर्टिंग अधिकारी के पास उसके कार्य को निकटता से देखने का अवसर न हो या जब किसी अधिकारी ने रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीन बहुत ही कम अवधि के लिए कार्य किया हो अथवा बहुत लंबी छुट्टी पर रहा हो आदि। ऐसे सभी मामलों में, रिपोर्टिंग अधिकारी को सत्यनिष्ठा कॉलम में इस आशय की प्रविष्टि करनी चाहिए कि उसने अधिकारी के कार्य को पर्याप्त समय तक नहीं देखा है कि वह कोई निश्चित टिप्पणी कर सके अथवा यह कि उसने अधिकारी की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध कुछ नहीं सुना है, जो भी मामला हो। यह एक ऐसा वास्तविक विवरण होगा जिससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह आवश्यक है कि एक उच्च अधिकारी को अपने अधीन कार्यरत पदधारियों की सत्यनिष्ठा के बारे में निश्चित निर्णय पर पहुंचने के लिए यथाशीघ्र हर संभव प्रयास करने चाहिए ताकि वह सकारात्मक विवरण देने में सक्षम हो सके।

(च) ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें किसी अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह व्यक्त करने वाले रिकॉर्ड में दी गई गुप्त रिपोर्ट/की गई टिप्पणी के पश्चात् की जाने वाली जांच से उस संदेह को दूर करने या उसकी पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न हो। ऐसे मामले में, अधिकारी के आचरण की आगे और समयावधि तक निगरानी की जाए और इस बीच, जहां तक व्यवहार्य हो, उसे भ्रष्ट कार्यों में शामिल होने के अब्सर वाले पदों से दूर रखा जाए।

3. पुनः यह सूचित किया जाता है कि उस अधिकारी, जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है, के एपीएआर के सत्यनिष्ठा कॉलम में सक्षम रिपोर्टिंग अधिकारी को निम्नलिखित तीन विकल्पों में से किसी एक के रूप में टिप्पणी की जाएगी:

(क) संदेह से परे।

(ख) चूंकि अधिकारी को सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, अतः एक गुप्त टिप्पणी संलग्न है।

(ग) अधिकारी के कार्य को पर्याप्त समय तक नहीं देखा है जिससे कोई निश्चित निर्णय किया जा सके लेकिन मुझे अधिकारी के बारे में किसी भी प्रतिकूल बात की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कड़ाई से अनुपालन करने हेतु इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

(देवेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23094398

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

प्रति निम्नलिखित को भी अंग्रेजित:

1. महा सचिव/महा रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय
2. लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय के महा सचिव
3. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/यूपीएससी/एनआईटीआई आयोग में सचिव
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
5. महा लेखा नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
6. सभी राज्यों के राज्यपाल/सभी संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल
7. माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8. सचिव, जेसीएम (कर्मचारी पक्ष) की राष्ट्रीय परिषद, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली
9. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
10. सभी कार्यालय/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग/पीईएसबी के सभी अधिकारी/अनुभाग
11. ओएम एंड आईर-स्थापना-एसीआर के अंतर्गत विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए निदेशक, एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को
12. 10 अतिरिक्त प्रतियां



(दीनेश चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार